

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 871

दिनांक 08/04/2024

अनवान :-

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
लिखमाराम के का.मु. वगैरा	बनाम	दौलाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 54/2020

दिनांक : 02.04.2024

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र आलमसर के मौजा दीनगढ़ के खेत खसरा सं. 89 रकबा 00.05 बीघा एवं खसरा सं. 959/151 रकबा 78.05 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है ।
प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 872 to 875

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण लिखमाराम के का.मु. वगैरा
3. विप्रार्थीगण दौलाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

— 84 —
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 08/04/2024



(सूरजभान विश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन